को पेश हो।

12.3.26

पत्रावली अन्तर्गत राजस्व लोक अदालत में पेश हुयी। वादीगण के वकील उपस्थित। वादीगण के वकील ने वादपत्र पर नोटप्रेस अंकित किया। वादीगण के वकील वादपत्र को पढ़ना नहीं चाहते हैं अतः वादपत्र नोटप्रेस से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलाशुदा होकर रूम से कम हो तथा ~~[illegible]~~ दफ्तर दाखिल हो।

Scanned by CamScanner